जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–08/2021/डी–993 दिनांक 28/6/2021

कार्यालय आदेश

जोन–8 में अनुमोदित विभिन्न सैक्टर रोडों के विकास एवं निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं जविप्रा की नीति के तहत विभिन्न खातेदारों द्वारा सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि का धारा–44 के तहत समर्पण किया गया था। उक्त समर्पण के फलस्वरूप नियमानुार खातेदारों को आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु इस कार्यलय द्वारा दिनांक 7.06.21, 8.06.21 एवं 17.06.2021 को कम्प्यूटर से लॉटरी निकाली जाकर भूखण्डों को आवंटन किया गया था। सहवन से आवंटित किये जाने वालों रिक्त भूखण्डों का कम्प्यूटर में इन्द्राज किये जाते समय कॉर्नर भूखण्डों को भी इन्द्राज करा दिया गया जिसके कारण भूमि समर्पित करने वालें खातेदारों को अन्य भूखण्डों के साथ–साथ कॉर्नर भूखण्डों का भी आवंटन हो गया है। चूंकि नियमानुसार कॉर्नर भूखण्ड सैक्टर रोड हेतु समर्पित की जाने वाली भूमि के बदले आवंटित नही किये जा सकते हैं। अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 7.06.21, 8.06.21 एवं 17.06.2021 को निकाली गयी लॉटरी एवं उसके तहत आवंटित समस्त भूखण्डों का आवंटन तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुये लॉटरी को निरस्त घोषित किया जाता है।

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन–08, जविप्रा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।